

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दि० 09.09.2022

थाना कटरा को मिली बड़ी कामयाबी,

विगत 05 वर्ष से फरार आजीवन कारावास की सजा से दण्डित 10000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी बादशाह अवैध असलहा सहित गिरफ्तार।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर श्री वी०एस० वीर कुमार के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 08.09.22 को रात्रि को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर दस हजार का इनामी अभियुक्त बादशाह पुत्र श्री भूपराम नि० नदैया रामपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गोकुलपुर तिराहे पर गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु०अ०सं० 426/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त बादशाह पुत्र श्री भूपराम नि० नदैया रामपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर एसटीनं० 33/1990 धारा 302/34 IPC राज्य बनाम मैकू आदि थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित अभियुक्त बादशाह पुत्र श्री भूपराम नि० नदैया रामपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.1991 के द्वारा अभियुक्तगण मैकू आदि को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। जिसके विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाण्डिक अपील सं० 500/1991 योजित की गयी जिसमें अभियुक्त जमानत पर बाहर थे। परन्तु मा० न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अपने निर्णय दिनांक 24.08.2018 द्वारा निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजे जाने हेतु इस न्यायालय को निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण मैकू व बाबू गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं।

परन्तु अभियुक्त बादशाह उपरोक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त का स्थायी वारण्ट भी जारी किये जा चुके हैं तथा मा० न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की भी की जा चुकी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा० न्यायालय द्वारा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० शासन लखनऊ को पत्राचार कर उक्त प्रकरण में विशेष टीम गठित कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु दिनांक 19.08.2022 को दो टीम गठित की गयी थीं। अभियुक्त बादशाह उपरोक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा 10,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-बादशाह पुत्र श्री भूपराम नि० नदैया रामपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास:-

1. एसटीनं0 33/1990 धारा 302/34 IPC राज्य बनाम मैकू आदि थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ।
2. मु0अ0सं0 426/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार श्रीवास्तव थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2143 शुभम कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2223 मनोज कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर